निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 64/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कमलेश कुमार नायक उर्फ कमल पुत्र श्री छीतर जाति नायक, निवासी ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री लोकेश कुमार मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर।

2 कन्हया पुत्र छीतर

3 श्रीमती पार्वती देवी पत्नी छीतर

4 मोनू पुत्र छीतर

5 सुनीता पुत्री छीतर

6 सोनू पुत्र छीतर

समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर

7 राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, उप तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।

8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, आमेर ।

9 उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

10 सुरेन्द्र कुमार ताम्बी पुत्र नामालुम निवासी मुरलीपुरा, जयपुर।

11 शीशराम महला पुत्र नामालुम निवासी पानीपेच, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2024 ब उनवानी कमलेश कुमार उर्फ कमल बनाम कन्हैयालाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री गजराज कुमार योगी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 01.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 04/2024 ब उनवानी कमलेश कुमार उर्फ कमल बनाम कन्हैयालाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 10 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरश कुमार चाहर ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 06.06.2024 को विपक्षी गांव में आये तथा उन्होंने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि हमारी साहब से बात हो चुकी है अब वह जल्दी ही उक्त प्रकरण का फैसला हमारे हक में कर देगें तथा उक्त आराजी पर अपीलान्ट द्वारा लिया गया स्टे कल दिनांक 7.06.2024 का खारिज हो जायेगा जिससे हम मौक पर निर्माण कार्य करके दो दिन में ही विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लेंगे तथा उक्त आराजी पर यदि न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किया है तो मोके पर लड़ाई झगड़ा होने व भूमि पर अवैद्य कब्जा होने की पूरी पूरी सम्भावना है। दिनांक 06.06.2024 को प्रार्थी न्यायालय में गया तो प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की जानकारी पीठासीन अधिकारी को दे दी जिस पर पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को धमकाते हुये कहा कि तुम इन लोगों से राजीनामा कर लो इनकी पहुंच ऊपर तक है। मै कुछ नहीं कर सकता जिससे प्रार्थी को घोर आशंका उत्पन्न हो गई है कि अब अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी न्याय से वंचित कर सकता है तथा पीठासीन अधिकारी प्रकरण में नजदीक की तारीख पेशी देकर प्रार्थी के विरूद्व निर्णय कराने पर आमादा है। अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर रखी है और येनकेन प्रकारेण प्रार्थी के विरूद्व फैसला करने पर आमादा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आलावा कोई विकल्प शेष नही है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से स्टे प्राप्त कर रखा है जिसकी आड में लम्बी लम्बी तारीख लेने का प्रयास करता है। प्रार्थी ने मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एव

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner